न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या :– 138/2019 निर्णय दिनांक 9.7.19

उनवान

1. घीसी पत्नि लादूराम
2. भौरी देवी पत्नि शंकरलाल

समस्त जाति मीना, निवासी – बाढ श्योपुर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा।

––अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत।

प्रार्थीगण ग्राम ठीकरिया मीणाान तहसील कोटखावदा के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खसरा नम्बर 586/2 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.19 है0 खसरा नम्बर 588 रकबा 0.90 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम ठीकरिया मीणान तहसील कोटखावदा में स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थीगण ने निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] को सुना गया तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का सम[illegible] की भूमि का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने हेतु दौराने बहस ज[illegible]र किया गया। वक[illegible]प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र अवलोकन किया गया तो प्रार्थिगण की भूमि पत्थर गढी करवाया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:39:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 586/2 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.19 है0 खसरा नम्बर 588 रकबा 0.90 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.90 है0 वाके ग्रम ठीकरिया मीणान तहसील कोटखावदा में स्थित है कि सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो व फसल कटने के बाद पत्थरबढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
9-7-19
(एस0डी0एम0) चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:39:03 IST
Reason: SelfAttested